FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

पृष्ठ संख्या.....

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सरमथुरा जिला धौलपुर (राज.)

उनवान ....रोहेश.... बनाम ....गोपाल वगै०....

किस्म मुकदमा ....दावा 5.B.R.1949 R.T.Act.... प्रकरण संख्या – ....02/2023....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/9/23	पत्रावली पेश/ वकील प्रार्थी उ०/ वि० सादी गैर राजस्थानी में काबिज है/ पूर्व दिशानुसार पत्रावली दिनांक 10/10/23 को पेश हो/	
5/12/23	पत्रावली जनरल पेशी से पेश/ वकील प्रार्थी उ०/ वकील वादी द्वारा प्रति (1) की कार्यवाही कायम मुलाम करने एवं प्रति (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) लगायत (13) की पुनरावृत्ति का स्थगन हेतु लगातार निवेदन किये जाने के बावजूद वकील वादी द्वारा कार्यवाही कायम मुलाम एवं पुनरावृत्ति पेश नहीं/ पेशी दिनांक 19/9/23 को अन्तिम अवसर दिया जाचुका है/ साथ ही वकील वादी के हस्ताक्षर भी करीब गये ~~किये~~ फिर भी आज वकील वादी द्वारा कार्यवाही कायम मुलाम प्रति (1) व तलबाना शेष प्रतिवादीगण पेश नहीं/ इस प्रकार वकील वादी द्वारा सख्त हिदायत एवं निर्देश दिये जाने पर भी न्यायालय आदेशों का पालन नहीं किये जाने के कारण दावा वादी अदम पालना खारिज किया जाता है/ पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से की हो/ बाद वकील दाखिल दफ्तर हो/ निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया/ उपखण्डाधिकारी सरमथुरा (धौलपुर) राज.	